

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपाल

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2014—आश्विन 11, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2014

क्र. एफ. 3-5-2014-बासठ.—राज्य शासन, एतदद्वारा “विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति की बस्तियों में विद्युतीकरण योजना नियम-2014”, का प्रकाशन किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवि डफरिया, उपसचिव,

**मध्यप्रदेश विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति की बस्तियों में विद्युतीकरण
योजना २०१५**

राज्य शासन द्वारा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बाहुल्य ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों की बस्तियों/डेरों हेतु विद्युतीकरण योजना बनायी जाती है:-

1. संक्षिप्त नाम –विस्तार एवं प्रारंभ

- 1.1 यह योजना मध्यप्रदेश विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति की बस्तियों में विद्युतीकरण योजना कही जायेगी।
- 1.2 इनका विस्तार एवं कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा।
- 1.3 यह योजना मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा जारी किये जाने की दिनांक से प्रभावशील होगी।
- 1.4 मध्यप्रदेश शासन, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति की बस्तियों में विद्युतीकरण योजना के लिये प्रावधानित राशि का उपयोग इन नियमों के अनुसार किया जावेगा।

2. योजना का उद्देश्य

विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बाहुल्य ग्रामों, बस्तियों, डेरों तथा नगरीय विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बाहुल्य बस्तियों/डेरों में विद्युतीकरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु योजना बनाई गई है।

3. परिभाषायें

- 3.1 राज्य शासन से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है।
- 3.2 विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति से तात्पर्य उन जातियों से है, जिन्हें म.प्र. शासन द्वारा राज्य के लिये विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति घोषित किया गया है।
- 3.3 विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बस्ती से तात्पर्य ऐसे ग्रामों, बस्ती, वार्ड, मजरे, टोलों, पारे, डेरों से है, जहां विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों के परिवार निवास करते हों।
- 3.4 नगरीय विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बस्ती से तात्पर्य नगरीय क्षेत्रों में ऐसी बस्ती, कालोनी, वार्ड, मोहल्ले, डेरों से है, जिनमें विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के अन्तर्वर्तीनिवासरत हों।

- 3.5 “कलेक्टर/जिलाध्यक्ष” से तात्पर्य जिला कलेक्टर से है।
- 3.6 “जिला पंचायत” से तात्पर्य मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम के तहत गठित जिला पंचायत से है।
- 3.7 “जनपद पंचायत” से तात्पर्य मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम के तहत गठित जनपद पंचायत से है।
- 3.8 “ग्राम पंचायत” से तात्पर्य मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम के तहत गठित ग्राम पंचायत से है।
- 3.9 “स्थानीय निकाय” (नगरीय क्षेत्र) से तात्पर्य मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1956, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम – 1961 के तहत गठित नगर पालिका निगम, नगर पालिका तथा नगर परिषद आदि स्थानीय निकायों से है।
- 3.10 “क्रय समिति” से तात्पर्य कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति से है, जिसके द्वारा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के बस्तियों में विद्युतिकरण/विद्युत लाईन का विस्तार इत्यादि कार्य कराने हेतु स्थान चयन, निविदा स्वीकृति एवं कार्य स्वीकृति हेतु अधिकृत किया गया है।

4. कार्यों की प्रकृति

योजना प्रारंभ करने से पूर्व विभाग विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों का सर्वेक्षण करायेगा एवं सर्वेक्षण के आधार पर जिन स्थानों में इन जनजातियों का निवास पाया गया है, उन्हीं स्थानों को इस योजना के अंतर्गत विद्युतिकरण के लिये चयनित किया जायेगा।

स्थान के चयन के साथ ही संबंधित जिला कलेक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावेगा कि संबंधित स्थल पर विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों का निवास है।

यथा संभव प्रस्तावित योजना उन्हीं स्थानों पर लागू की जावेगी जहाँ शासन की योजनाओं के अंतर्गत विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों को लाभ प्रदाय कर उन्हें स्थायी रूप से बसाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। (उदाहरणार्थ— आवास योजना, शासकीय भूमि का पट्टा, भूमि पर कुँआ खुदवाना इत्यादि)

इस योजनांतर्गत विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के ऐसे ग्रामों, बस्तियों, डेरों में सड़कों, गलियों में विद्युत लाईन नहीं है, उन स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण के लिये खम्बे, तार एवं ट्रांसफार्मर हेतु धनराशि प्रदान कर सुविधा उपलब्ध कराना है।

- 4.1 योजनांतर्गत यथा—संभव ऐसी योजना में राशि व्यय की जायेगी, जो वर्ष विशेष में ही पूर्ण की जा सके। विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बस्तियों/डेरों के विकास हेतु शासन के अस्थिरिक्तिभागों को प्राप्त राशि का

उपयोग पहले किया जायेगा तथा जहां राशि कम पड़ती है एवं विकास विभागों के मद में कोई प्रावधान न किया गया हो तभी इस योजनांतर्गत राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

- 4.2 यह योजना प्रचलित योजनाओं की अनुपूरक योजना होगी। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से जो बस्तियाँ/ग्राम लाभांशित नहीं हो सकते हैं, उन्हें इस योजना से लाभांशित किया जा सकेगा।
- 4.3 विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति आवास योजना अन्तर्गत क्लस्टर में आवास निर्माण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु इस योजना से कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे।
- 4.4 इस योजना में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के छात्रावास/आश्रम एवं सामुदायिक कल्याण केन्द्रों तक विद्युत लाईन का विस्तार एवं कनेक्शन का कार्य कराया जायेगा।

5 कार्य योजना एवं कार्य स्वीकृति के अधिकार

- 5.1 योजनांतर्गत लिये जाने वाले कार्यों की व्यय सीमा तथा उल्लेखित सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु जिलों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार परीक्षण उपरांत संबंधित क्षेत्र की विद्युत वितरण कम्पनी के प्राक्कलन अनुसार राशि शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी।
- 5.2 उपरोक्तानुसार विद्युत लाईन का विस्तार सर्वप्रथम उन विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बाहुल्य बस्तियों/मजरे/टोलों/पारों/डेरों तथा नगरीय बस्तियों में जिनमें इन सुविधाओं का पूर्ण रूप से अभाव हो। योजना के दूसरे चरण में ऐसी विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बस्तियों/डेरों में यह कार्य कराया जा सकेगा, जिनमें विद्यमान सुविधायें विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति की जनसंख्या के मान से पर्याप्त नहीं हैं।
- 5.3 निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य योजना बनाने हेतु ऐसी विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बस्तियों/डेरों की पहचान की जाये जिनमें विद्युत लाईन का या तो अभाव है या कमी है। क्षेत्रों के पहचान करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला कलेक्टर की होगी।
- 5.4 विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बस्तियों में विद्युतीकरण हेतु समेकित कार्य योजना को प्राथमिकता दी जायेगी। विद्युतीकरण की उक्त समेकित कार्य योजना जिला स्तर पर तैयार की जायेगी एवं कलेक्टर के द्वारा संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास को आवंटन प्राप्त करने हेतु प्रेषित की जायेगी। सक्षम तकनीकी अधिकारी की सलाह पर धनराशि व्यय करने की स्वीकृति वित्तीय अधिकारों की सीमा में कलेक्टर द्वारा दी जायेगी।

6 प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार

6.1 कलेक्टर द्वारा वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत विद्युत लाईन के विस्तार इत्यादि कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति के आधार पर दी जायेगी।

7 तकनीकी स्वीकृति के अधिकार

7.1 इस योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के तकनीकी स्वीकृति के अधिकार—डेलीगेशन ऑफ फायरेंशियल पावर वाल्यूम—2 के अनुसार होंगे।

8 निर्माण कार्यों का निष्पादन

8.1 विमुक्त, घुमककड़ एवं अर्द्धघुमककड़ जनजाति बाहुल्य बस्तियों/डेरों में इस योजना के तहत स्वीकृत विद्युतीकरण, विद्युत लाईन के विस्तार के कार्यों का निष्पादन ठीक उसी प्रकार किया जावेगा जिस प्रकार विद्युत वितरण कम्पनियों के निर्माण कार्यों का निष्पादन किया जाता है।

8.2 कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा स्थान चयन कर कार्यों को स्वीकृत कर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जायेगी। निविदा स्वीकृति के लिये भी उक्त क्रय समिति अधिकृत होगी।

8.3 नगरीय बस्तियों/डेरों के विद्युतीकरण कार्यों का निष्पादन स्थानीय निकायों के माध्यम से भी किया जा सकेगा।

8.4 स्थानीय परिस्थिति अनुसार विभागीय निर्माण एजेन्सी अथवा अन्य निर्माण एजेन्सी के माध्यम से निर्धारित सीमा में कार्य कराये जा सकेंगे। एजेन्सी निर्धारण का अधिकार कलेक्टर को होगा।

9. क्रय समिति का गठन

9.1 विमुक्त, घुमककड़ एवं अर्द्धघुमककड़ जनजाति के बस्तियों/डेरों में विद्युतीकरण, विद्युत लाईन के विस्तार हेतु कार्यों एवं निविदाओं की स्वीकृति हेतु निमानुसार जिला स्तरीय क्रय समिति होगी :—

- | | |
|---|------------|
| 1. कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि | अध्यक्ष |
| 2. संबंधित क्षेत्र के विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 3. कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग, | सदस्य |
| 4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास /
जिला संयोजक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
कल्याण, | सदस्य सचिव |

10. आवंटन का प्रदाय

- 10.1 विमुक्त, घुमककड़ एवं अर्द्धघुमककड़ जनजाति के बस्तियों/डेरों में विद्युतीकरण/विद्युत लाईन का विस्तार का कार्य कराने हेतु धनराशि का आवंटन संचालक, विमुक्त घुमककड़ एवं अर्द्धघुमककड़ जनजाति विकास द्वारा जिला कलेक्टर्स को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 10.2 विमुक्त, घुमककड़ एवं अर्द्धघुमककड़ जनजाति बस्तियों/डेरों में इस योजना के तहत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु आवंटन जिला कलेक्टर्स के द्वारा क्रय समिति के खाते में रखी जायेगी। निर्माण एजेन्सियों/संविदाकारों को कार्य के आधार पर कलेक्टर द्वारा समय—समय पर भुगतान किया जायेगा।
- 10.3 कलेक्टर(अध्यक्ष – क्रय समिति) एवं निर्माण एजेन्सियों/संविदाकारों से “परिशिष्ट-2” प्रारूप में एक करार (अनुबंध) निष्पादित कराया जायेगा।
- 10.4 यदि किसी निर्माण एजेन्सी/संविदाकारों ने उसे पूर्व में स्वीकृत राशि का उपयोग अनुबंध की शर्तों के अनुसार नहीं किया है तो उसे आगामी वर्ष में नये कार्यों हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी एवं संविदा निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जाकर उनका नाम काली सूची (लैस्ट) में डाला जा सकेगा।

11. कार्य पूर्णता एवं धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र

- 11.1 योजना के तहत विमुक्त, घुमककड़ एवं अर्द्धघुमककड़ जनजाति बस्तियों/डेरों में स्वीकृत कार्यों की पूर्णता तथा उपयोगिता प्रमाण—पत्र संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा उपलब्ध जारी किया।
- 11.2 निर्माण कार्य उसी वित्त वर्ष में पूर्ण कराने आवश्यक होंगे जिस वर्ष में वे स्वीकृत किये गये हैं। विशेष परिस्थिति में कलेक्टर कार्य पूर्ण होने की अवधि में वृद्धि कर सकेंगे किन्तु कार्य अवधि में वृद्धि करते समय अतिरिक्त धनराशि कदापि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

12. योजना के तहत स्वीकृत कार्यों का लेखा

- 12.1 योजना के अंतर्गत वर्ष में स्वीकृत कार्यों का लेखा—जोखा रखने हेतु संलग्न “परिशिष्ट-3” के अनुसार पंजी का संधारण सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय में की जायेगी। इसके अतिरिक्त संबंधित क्षेत्र के विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यालय में अनिवार्य रूप से संधारित की जायेगी।

13. योजना के अंतर्गत निर्मित कार्यों का हस्तांतरण एवं रख—रखाव

- 13.1 इस योजना से निर्मित कराये जाने वाले निर्माण कार्यों / विद्युत लाईनों का हस्तांतरण कलेक्टर द्वारा संबंधित क्षेत्र के विद्युत वितरण कम्पनी को किया जायेगा, जिसका रख—रखाव नियमानुसार विद्युत वितरण कम्पनी को करना होगा।

14. कार्यों का निरीक्षण

- 14.1 इस योजना के तहत स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों का निरीक्षण विभाग के राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी तथा संभागीय आयुक्त तथा कलेक्टर द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

15. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- 15.1 इस योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास द्वारा नामांकित अधिकारी, संभागीय आयुक्त एवं जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा नामांकित किसी भी अधिकारी एवं विभागीय संभागीय अधिकारी तथा जिला अधिकारी को यह अधिकार होगा, कि वह कार्य की गुणवत्ता, भौतिक प्रगति एवं मूल्यांकन संबंधी जानकारी एकत्र करें।
- 15.2 विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति संचालनालय द्वारा समय समय पर योजना का मूल्यांकन किया जावेगा।

16. अभिलेखों का संधारण

- 16.1 मध्यप्रदेश विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बस्तियों में वर्षवार किये गये कार्यों का विवरण एवं संबंधित पंजी का संधारण संलग्न परिशिष्ट-4 अनुसार जिला कार्यालय में अनिवार्य रूप से किया जायेगा। ताकि यह ज्ञात हो सके कि संबंधित ग्राम/बस्ती में विभाग के द्वारा क्या—क्या कार्य कराये गये हैं तथा उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है।

परिशिष्ट-2

(नियम 10.3 देखिये)

अनुबंध पत्र

**मध्यप्रदेश विमुक्त, घुमककड़ एवं अर्द्धघुमककड़ जनजाति की बस्तियों में
विद्युतीकरण योजना २०१४**

यह अनुबंध आज दिनांक को मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर
से जिलाध्यक्ष (जो इसके आगे प्रदानकर्ता कहलायेंगे), जो विपरीत न
होने पर उनके पदानुवर्ती सम्मिलित होंगे और प्रतिपक्ष
फर्म/निर्माण ऐजेंसी की ओर से संविदाकार कर
रहे हैं जो इसके आगे "प्राप्तकर्ता" कहलायेंगे, जिस अभिव्यक्ति में विषय या प्रसंग विपरीत
न होने पर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादन प्रतिनिधि और स्वत्वाकर्ष गृहिता सम्मिलित होंगे
के मध्य किया जाता है।

2. राज्य शासन की ओर से जिलाध्यक्ष द्वारा उनके कार्यालयीन आदेश
क्रमांक दिनांक के द्वारा प्राप्तकर्ता को कार्य
की कुल अनुमानित लागत के निर्माण हेतु रूपये (अक्षरों में
.....) के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई ।

3. अतएव निम्नानुसार करार किया जाता है:- (1) प्राप्तिकर्ता द्वारा अपनी नीति
निर्धारण तथा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जो प्रबंध मण्डल कार्यकारिणी समिति या ऐसे
कोई अन्य समितियां स्थापित की गई हो तो ऐसी प्रत्येक समिति में मण्डल के सदस्य के
रूप में प्रदानकर्ता द्वारा नामांकित एक व्यक्ति प्राप्तिकर्ता द्वारा स्वीकार्य किया जावेगा।

(2) प्राप्तिकर्ता जिलाध्यक्ष के संदर्भित आदेश पत्र में दर्शाये स्थान पर
का निर्माण कार्य जिलाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित प्रावक्कलन
एवं मानचित्र तथा प्रशासकीय स्वीकृति के अन्तर्गत और आधार पर एवं सीमा में करेगा।

(3) प्राप्तिकर्ता, प्रदानकर्ता द्वारा स्वीकृति डिजाइन एवं विस्तृत विवरणमें कोई संशोधन
एवं परिवर्तन बिना प्रदानकर्ता की लिखित अनुमति प्राप्त नहीं करेगा और स्वीकृत मानचित्र
में दर्शाये कार्यों के निर्माण करेगा।

(4) प्राप्तिकर्ता द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य 6 माह के भीतर पूर्ण कर दिया जावेगा। यदि
इस अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो प्राप्तिकर्ता स्वीकृत राशि का 2 प्रतिशत
की दर से जुर्माना देने के लिये वचनबद्ध रहेगा।

- (5) प्राप्तिकर्ता द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ सम्पादित किया जावेगा तथा मूल्यांकन के मान से राशि का भुगतान किया जायेगा ।
- (6) यदि प्राप्तिकर्ता द्वारा प्राप्त की गई राशि या उसकी आंशिक राशि का कोई दुरुल्पयोग पाया गया तो प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रदानकर्ता की ऐसी राशि मय 10 प्रतिशत ब्याज के एक माह के भीतर लौटाई जावेगी ।
- (7) प्राप्तिकर्ता उक्त निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की पाई जाने वाली हानि एवं क्षति के प्रति उत्तरदायी होगा तथा ऐसी परिस्थिति में होने वाला अतिरिक्त व्यय प्राप्तिकर्ता के द्वारा वहन किया जावेगा ।
- (8) निर्माण कार्य का निरीक्षण प्रदानकर्ता तथा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारी या मंत्रियों द्वारा किया जा सकेगा यदि निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त निर्माण कार्य में निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार पूर्ति की जानी होगी ।
- (9) प्राप्तिकर्ता उपरोक्त निर्माण कार्य का लेखा पृथक तथा नियमानुसार रखेगा तथा उपरोक्ता निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी प्रतिवेदन मासिक रूप से प्रतिमाह तारीख 10 तक प्रदानकर्ता को प्रेषित करेगा ।
- (10) निर्माण कार्य पूर्ण होने के तुरन्त पश्चात एक माह के भीतर प्राप्तिकर्ता कार्य का लेखा—जोखा, मूल्यांकन प्रमाण पत्र पूर्णतः प्रमाण पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदानकर्ता को प्रस्तुत करेगा ।
- (11) यदि इस अनुबंध में या इसमें अन्तः दृष्टि किन्हीं भी उपबन्धों या उनसे उत्पन्न होने वाली किसी भी बात के संबंध में इसमें संबंधित पक्षों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग की मध्यस्थता के लिये संदर्भित किया जावेगा जिस पर उनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को बंधनकारी होगा ।
- (12) प्राप्तिकर्ता द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत इसका विधिवत हस्तांतरण प्राप्त किया जावेगा तथा प्राप्त रसीद प्रदानकर्ता को दी जावेगी तथा उक्त निर्मित कार्य का भली भाँति रख—रखाव संरक्षण तथा यदि कोई विस्तार आवश्यक हुआ तो स्वतः अपने स्त्रोतों से किया जावेगा ।

(13) यह अनुबंध दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर दिनांक से लेकर जब तक उपरोक्त कार्य शर्तों के अनुसार पूर्ण नहीं होता तथा यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसके पूर्ण निपटारा होने तक प्रभावशील होगा।

(14) इन लिखान का देय मुद्रा/पंजीयन शुल्क का भुगतान प्राप्तिकर्ता द्वारा किया जावेगा।

(15) इसके साक्ष्य स्वरूप इनसे संबंधित पत्रों में अपने हस्ताक्षरों के सामने लिखी तारीख और वर्ष को इस विलेख पर अपने हस्ताक्षर किये हैं:-

साक्षीगण

1.....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पद सील सहित

2.....

2. संविदाकार.....

3.....

फर्म/निर्माण ऐजेंसी
की ओर से

4.....

हस्ताक्षर.....
दिनांक.....

पद सील सहित

परिशिष्ट-३

नियम 12.1 देखिये

मध्यप्रदेश विमुक्त, धूमकेकड़ एवं अर्द्धधूमकेकड़ जनजाति की बसितों में विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वर्षवार स्थीकृत कार्यों की पंजी

परिशिष्ट-4

नियम 16.1 देखिये

मध्यप्रदेश विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति की बस्तियों में विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की पंजी

जिला स्तर पर रखी जाने वाली पंजी

जिला..... स्वीकृत वर्ष.....

क्र.	कार्य का नाम	स्थान/मोहल्ला पारा	ग्राम/नगर	विकासखण्ड	तहसील
1	2	3	4	5	6

प्राक्कलन की राशि	स्वीकृत राशि	जिला कार्यालय का स्वीकृति आदेश क. दिनांक	कार्य करने वाली संस्था/एजेन्सी
7	8	9	10

कार्य प्रारंभ होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि	कार्य पर हुए व्यय की राशि	कार्य के मूल्यांकन की राशि तथा मूल्यांकन तिथि
11	12	13	14

राशि	महालेखाकार को पूर्णता प्रमाण पत्र भेजने का पत्र क./दिनांक एवं राशि		महालेखाकार को पूर्णता प्रमाण पत्र भेजने का पत्र क./दिनांक एवं राशि	
	पत्र क.	दिनांक	पत्र क.	दिनांक
15	16	17	18	19

यदि राशि अवशेष रही हो तो उस द्रेजरी में रिफंड करने की	कार्य पूर्ण होने के उपरांत किस संस्था को सौंपा गया	हस्तांतरण ग्रहिता का नाम	पदनाम
चालन क.	दिनांक	राशि	
20	21	22	23
			24

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर की तिथि	रिमार्क
25	26	27